उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

18 मई, 2023 ई0

संख्या 115/VIII-1/23–147(श्रम)/2001–राज्यपाल, औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 20 सन् 1946) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ग) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 4367/36–3–(एस0ओ0)–83, दिनांक 14 मार्च, 1984, का अधिक्रमण करते हुए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधिकारियों को स्तम्भ–3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकारिता तथा स्तम्भ 4 में उल्लिखित कृत्य हेतु "प्रमाणकर्ता अधिकारी" नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता	प्रमाणकर्ता अधिकारी के कृत्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अपर श्रम आयुक्त देहरादून।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।	उक्त अधिनियम के अधीन सत्यापन के समस्त कृत्य एवं उक्त अधिनियम की धारा–3 के अधीन प्रस्तुत किए गए स्थाई आदेशों के प्रारूप के सम्बन्ध में (1) पक्षों की सूचना या संसूचना जारी करना (2) सुनवाई के लिए दिनांक नियत करना (3) पक्षों के बीच मदभेदों का अन्वेषण करना (4) पार्टियों के मध्य चर्चा करके और ऐसे स्थाई आदेश के प्रारूप के विभिन्न उपबन्धों पर उनकी सहमति प्राप्त करके, यदि सम्भव हो, उनके मतभेदों को सीमित करना और ऐसे स्थाई आदेश के प्रारूप के उपबन्धों के औचित्य या युक्ति युक्तता से सम्बन्धित किसी बिन्दु पर जो अन्त में पक्षों के बीच विवादग्रस्त रह जाए, सुनवाई करने के सिवाय उस पर अन्यथा कार्यवाही करना।
2	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य में तैनात समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।	
3	उप श्रम आयुक्त, देहरादून।	जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।	
4	उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार।	जनपद हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।	
5	उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी।	जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।	
6	उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिह नगर।	जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़।	

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 114/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated- May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.114/VIII-1/23-147-Labour/2001–In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 17 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (Act No. 45 of 1955) read with section 21 of the U.P. General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor is pleased to authorize, the Officers mentioned in column-2 of the Schedule below to refer industrial disputes arising under the Industrial Disputes Act, 1947 (Adaptation and Modification Order 2002) to the Labour Courts constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 for their areas of Jurisdiction mentioned against their names in column-3 of the schedule below:-

Schedule

S.No.	Designation of the Officer	Jurisdiction	Duties of Certifying Officers
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Additional Labour Commissioner, Dehradun	Whole state of Uttarakhand	In relation to all the functions of verification under the said Act and the format of standing orders presented under Section-3 of the said Act. (1) Issue of notice or communication to the parties. (2) Fixing date for hearing. To investigate the interests between the parties. (4) Limiting the differences, if possible, by holding discussion between the parties and obtaining their agreement on the various provisions of such draft. Permanent order, and without regard to any matter relating to the propriety or reasonableness of the provisions of such draft permanent order except to hear the point which ultimately remains in dispute between the parties, otherwise act on it.
2	All Joint/ Deputy/Assistant Labour Commissioner posted in the office of Labour Commissioner, Uttarakhand	Whole state of Uttarakhand	
3	Deputy Labour Commissioner, Dehradun	District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi	
4	Deputy Labour Commissioner, Haridwar	District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal	
5	Deputy Labour Commissioner, Haldwani	District Nainital, Almora and Bageshwar	
6	Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar	District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh	

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,

Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 24—06—2023, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पीएस0यू0 (आर0ई0) 16 श्रम/295—31—07—2023—100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।